

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 357]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 18, 2016/वैशाख 28, 1938

No. 357]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 18, 2016/ VAISAKHA 28, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2016

सा.का.नि. 532(अ).- औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 33 के साथ पठित धारा 12 की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 1 मार्च, 2016 में प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 268 (अ), तारीख 1 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसके द्वारा उन व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 01.03.2016 को उपलब्ध करा दी गई थीं।

और उक्त नियमों के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 33 के साथ पठित धारा 12 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (तृतीय संशोधन) नियम, 2016 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 43क में “चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, कोचीन, न्हावा शेवा, कांडला, दिल्ली में तुगलकाबाद और पटपड़गंज, तमिलनाडु में तुतीकोरिन और गोवा में मारमुगाव पत्तन के अंतर्देशीय आधान डिपो: भारत में समुद्र मार्ग द्वारा आयातित औषधियों की बाबत। चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, गोवा और बंगलुरु : भारत में वायु मार्ग द्वारा आयातित औषधियों की बाबत” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“चेन्नई, कोलकाता, मुम्बई, कोचीन, न्हावा शेवा, कांडला, दिल्ली में तुगलकाबाद और पटपड़गंज, तमिलनाडु में तुतीकोरिन, गोवा में मारमुगाव पत्तन और आन्ध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के अंतर्देशीय आधान डिपो :

भारत में समुद्री मार्ग द्वारा आयातित औषधियों की बाबत;

चेन्नई, कोलकाता, मुम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, गोवा, बंगलुरु और विशाखापट्टनम :

भारत में वायु मार्ग द्वारा आयातित औषधियों की बाबत।”।

[फा.सं. एक्स-11014/1/2015-डीएफक्यूसी]

कुंदन लाल शर्मा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में, अधिसूचना संख्यांक एफ. 28-10/45-एच(1), तारीख 21 दिसम्बर, 1945 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन सा.का.नि. 313(अ), तारीख 16-03-2016 द्वारा किया गया है।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2016

G.S.R. 532 (E).— Whereas a draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, was published, as required by section 12 read with section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare), number G.S.R. 268(E), dated the 1st March, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 1st March, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of forty thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the Gazette were made available to the public on 01.03.2016;

And whereas no objection and suggestions have since been received from the public on the said rules during the specified period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 12 read with section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, namely:-

1. (1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics (Third Amendment) Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in rule 43-A, for the words “Chennai, Kolkata, Mumbai, Cochin, Nhava Sheva, Kandla, Inland Container Depots at Tuglakabad and Patparganj in Delhi, Tuticorin in Tamil Nadu and Marmugao port in Goa: in respect of drugs imported by sea into India. Chennai, Kolkata, Mumbai, Delhi, Ahmedabad, Hyderabad, Goa and Bengaluru in respect of drugs imported by air into India”, the following words shall be substituted, namely:-

“Chennai, Kolkata, Mumbai, Cochin, Nhava Sheva, Kandla, Inland Container Depots at Tuglakabad and Patparganj in Delhi, Tuticorin in Tamil Nadu, Marmugao port in Goa and Visakhapatnam in Andhra Pradesh:

in respect of drugs imported by sea into India;

Chennai, Kolkata, Mumbai, Delhi, Ahmedabad, Hyderabad, Goa, Bengaluru and Visakhapatnam:

in respect of drugs imported by air into India.”

[F. No. X 11014/1/2015-DFQC]
K. L. SHARMA, Jt. Secy.

Footnote: - The principal rules were published in the Official Gazette vide notification No. F.28-10/45-H (1), dated the 21st December 1945 and last amended vide number GSR 313(E), dated the 16.03.2016.